105

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 752—तीन/2000 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18—02—2000 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1563/निग0/1996—97

.....

1— काशीप्रसाद पुत्र श्री भरोसा काछी
2— सरजू
3— प्रयाग
4— जगन, पुत्रगण श्री बंशीधारी
निवासीगण— ग्राम चुरहट, तहसील चुरहट
जिला—सीधी(म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मनगिरिया उर्फ सावित्री पुत्री स्व0 श्री जमुना प्रसाद
निवासी—ग्राम रायपुर कर्चुलियान(म0प्र0)

.....अनावेदिका

.....

श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

आदेश

(आज दिनांक 14-11-17 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18—02—2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदिका एवं आवेदक क्रमांक 1 काशीप्रसाद द्वारा में ग्राम चुरहट की वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1015 रकबा 0.14 एकड़ एवं सर्वे 1017 रकबा 0.57 एकड़ का वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण

किये जाने हेतु तहसीलदार चुरहट के समक्ष दिनांक 15.05.1993 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार ने दिनांक 23.07.96 को दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अनावेदिका के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 06.12.96 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 1563/निग0/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2000 से निगरानी स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.12.96 को निरस्त किया तथा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 23.07.96 को विधिसंगत मानकर स्थिर रखा है। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जाता है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि के मूल भूमिस्वामी जमुनाप्रसाद थे। श्री जमुनाप्रसाद की मृत्यु के उपरांत अनावेदिका ही एकमात्र वारिस थी। अनावेदिका एवं आवेदक क्र0 1 द्वारा विचारण न्यायालय में वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण किये जाने का आवेदन दिया था, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को विधिवत सुनने के पश्चात अनावेदिका के पक्ष में वारिसाना नामांतरण का आदेश पारित किया है और आवेदक क्र0 1 की वसीयत का संदिग्ध माना है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.96 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया कि आवेदक के हित में निष्पादित किये गये वसीयत

के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे। जबकि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दोनों पक्षों के पक्ष समर्थन एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देकर वारिसाना नामांतरण का आदेश पारित किया है । इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय के आदेश को उचित माना है । अपर आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होते है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 18.02.2000 न्यायसंगत होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर